

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक डीसी-2/ए-1/अनो/12/2208

दिनांक 31/12/12

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।


अलर्ट नोटिस

विषय :-M/s. Symbiosis Pharmaceutical Pvt. Ltd., Suketi Road, Kala Amb (H.P.) द्वारा निर्मित औषधियां गम्भीर रूप से अवमानक कोटि की घोषित होने के सम्बन्ध में।

राजकीय विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर ने M/s. Symbiosis Pharmaceutical Pvt. Ltd., Suketi Road, Kala Amb (H.P.) द्वारा निर्मित निम्नांकित औषधियां गम्भीर रूप से अवमानक कोटि की घोषित की है :-

S.No.	Name of drug & Batch No. & Reason
1-	Metformin Hydrochloride (Sustained Release) and Glimepiride Tablets (G-2), B.No. SPT-2692 (Containt of Glimepiride found 27% of claim)
2-	Metformin Hydrochloride (Sustained Release) and Glimepiride Tablets (G-1), B.No. SPT-2689 (Containt of Glimepiride found 73% of claim)
3-	Metformin Hydrochloride (Sustained Release) and Glimepiride Tablets (G-2), B.No. SPT-2693 (Containt of Glimepiride found 35.5% of claim)
4-	Metformin Hydrochloride (Sustained Release) and Glimepiride Tablets (G-2), B.No. SPT-2696 (Containt of Glimepiride found 21.5% of claim)
5-	Metformin Hydrochloride (Sustained Release) and Glimepiride Tablets (G-2), B.No. SPT-2725 (Containt of Glimepiride found 18% of claim)
6-	Metformin Hydrochloride (Sustained Release) and Glimepiride Tablets (G-2), B.No. SPT-2694 (Containt of Glimepiride found 61% of claim)

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर इस कम्पनी के इसी दवा के अन्य बैच के तथा कम्पनी की अन्य दवाओं के नमूने लेकर जांच हेतु भेजें।


औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक

क्रमांक डीसी-2/ए-1/अनो/12/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी.डी.एस.सी.ओ. (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
2. कार्यकारी निदेशक, आर0एम0एस0सी0एल0, मुख्यालय।
3. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन0आर0एच0एम0, राज0 जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0क0/आईईसी/एडस/एम0एस0यू0/ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
5. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
6. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control में विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।